10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(68)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निग-3555-II/16

रिवीजन /2016 सीधी

जमुना पुत्र बुद्धी
रामू उर्फ ललुआ
समस्त निवासी ग्राम मोरा, तहसील
रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)
——— प्रार्थीगण

श्री योगेन्द्र सिंह, अभि० द्वारा आज दि. 10.10.16 को प्रस्तुत

10.10.16

बनाम

सम्पति कुमार तिवारी पुत्र रामगोपाल
तिवारी ग्राम खड्डी कलां, तहसील
रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)
——— प्रतिप्रार्थी

योगेन्द्र सिंह

253
10-10-16

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ़ तहसील रामपुर के प्रकरण क्रमांक 11–अ–12/2015–16 पारित आदेश दिनांक 10.06.2016 अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता ।

श्रीमान् जी,

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को सूचना दिए बिना विधि प्रक्रिया एवं सीमांकन में आवश्यक नियमों का उल्लंघन कर आदेश पारित जाने से कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) यह कि, प्रार्थीगण तथा अन्य मेड़िया कृषक की अनुपस्थिति में स्थल मौके के विपरीत सीमांकन की कार्यवाही अवैधानिक एवं अनुचित तरीके से की गई है । प्रार्थीगण का मकान एवं अन्य कृषि भूमि पर लगभग 35–40 वर्षों से स्वत्व एवं आधिपत्य है । ऐसी अवस्था में उसको सूचना दिये बगैर सीमांकन कार्यवाही न्यायोचित नहीं है । वर्ष 1984–85 से विवादित दखल रहित भूमि सर्वे क्रमांक 31/1 जिसका नया नम्बर 62 रकवा 0.670 हैक्टेयर जिसका सीमांकन किया गया है जो विधि प्रक्रिया एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है ।

क्रमशः....................2

XXIX(a)-BR(H)-11

(71)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-3555-दो/16 जिला - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23/8/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक [illegible] के प्रकरण क्रमांक 11/अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 10.6.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर सीधी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 18.10.19 को कलेक्टर सीधी के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	